

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- गोपाल लाल मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 51/2014

तारीख दायरा-18.07.2014

तारीख निर्णय-12.07.2016

1. श्री रता पिता किशना उर्फ कानिया गायरी निवासी फुटिया तहसील गोगुन्दा।

.....वादी

बनाम

1. श्री भज्जा पिता देवींग गायरी निवासी फुटिया तहसील गोगुन्दा।
2. श्री हीरा पिता देवींग गायरी निवासी फुटिया तहसील गोगुन्दा।
3. श्री कालु पिता देवींग गायरी निवासी फुटिया तहसील गोगुन्दा।
4. श्री हमेरा पिता देवींग गायरी निवासी फुटिया तहसील गोगुन्दा।
5. श्री गेगा पिता नाना गायरी निवासी फुटिया तहसील गोगुन्दा।
6. श्री रामा पिता धुला गायरी निवासी फुटिया तहसील गोगुन्दा।
7. श्री नाथु पिता धुला गायरी निवासी फुटिया तहसील गोगुन्दा।
8. श्री धना पिता धुला गायरी निवासी फुटिया तहसील गोगुन्दा।
9. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित- वादी की ओर से- श्री कुशालसिंह राणावत

प्रतिवादी की ओर से- श्री एक तरफा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा वांसडा पटवार क्षेत्र चौरबावडी तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2069 से 72 के खाता संख्या 119 में वर्णित आराजियात किता 30 कुल रकबा 4.0650, खाता संख्या 131 में वर्णित आराजियात किता 12 कुल रकबा 1.1800 है0 एवं मौजा फुटिया पटवार क्षेत्र गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2067 से 70 के खाता संख्या 61 में वर्णित आराजियात किता 53 कुल रकबा 4.9300 है0 भूमि स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि होकर संयुक्त कब्जा चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर अपनी सुविधानुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, परन्तु भूमि का रेकार्ड में विविधवत विभाजन नहीं होने से आये दिन पाली डोली को लेकर विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा भूमि के विभाजन में कोई तत्परता नहीं दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से वाद पेश किया गया है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजियात

अ
खण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला, उदयपुर

का खातेदारान के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन कराया जाकर भूमि अलग-अलग खाते दर्ज कराई जावें वादी के हिस्से में आई भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें इस हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या नौ प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में जवाब पेश नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।


हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। मौजा बांसडा पटवार क्षेत्र चौरबावडी तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2069 से 72 के खाता संख्या 119 खाता संख्या 131 मौजा फुटिया पटवार क्षेत्र गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत 2067 से 70 के खाता संख्या 61 अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात के वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक से आठ संयुक्त खातेदार काश्तकार है, जिसका विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ है। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक से आठ के मध्य विभाजन किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण को भी भूमि के विभाजन में कोई आपत्ती नहीं है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का खातेदारान के मध्य हिस्सेनुसार विभाजन मौके के कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्धान्त के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार ने बंटवाड़ा योजना उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। बंटवाड़ा रिपोर्ट पर वादी को सुना जाकर अवलोकन किया गया।

वाद वर्णित भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है। बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है एवं जमीन भी पक्षकारान को लगभग-लगभग बराबर-बराबर दी गई है, जिससे पक्षकारान सहमत एवं किसी पक्षकार को कोई आपत्ती नहीं है। इसलिये विभाजन योजना प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा बांसडा पटवार क्षेत्र चौरबावडी के आराजी नम्बर 81 रकबा 0.0300, 86 रकबा 0.0700, 111 रकबा 0.0800, 205 रकबा 0.0550, 183/1 रकबा 0.0750, 112 रकबा 0.1100, 208 रकबा 0.0500, 203/1 रकबा 0.0200, 191/1 रकबा 0.1750, 95 मी. रकबा 0.2200, 182/1 रकबा 0.1300, 59 रकबा 0.0800, 61/1 रकबा 0.0100 किता 13 कुल रकबा 1.1050 है। भूमि का रता पिता कानिया गाडरी को, आराजी नम्बर 29 रकबा 0.1300, 57 रकबा 0.0950, 58 रकबा 0.0900, 70 रकबा 0.0600, 71

रकबा 0.0600, 77 रकबा 0.0600, 82 रकबा 0.0400, 84 रकबा 0.0500, 85 रकबा 0.0600, 87 रकबा 0.0700, 88 रकबा 0.0400, 95/1 रकबा 0.4200, 97 रकबा 0.1150, 98 रकबा 0.1350, 99 रकबा 0.7600, 108 रकबा 0.0700, 182 मी. रकबा 0.1100, 183 मी. रकबा 0.0750, 184 रकबा 0.1750, 191 मी. रकबा 0.1750, 203 मी. रकबा 0.1400, 206 रकबा 0.0750, 207 रकबा 0.0200, 1131/184 रकबा 0.0250 किता 24 कुल रकबा 3.0500 है0 भूमि का गेगा पिता नारिया 1/3, भजा पिता नवला 1/3, हीरा, कालु, हमेरा पिता देवा, मु. राजकी बेवा देवा 1/3 गाडरी को आराजी नम्बर 22 रकबा 0.0550, 23 रकबा 0.0700, 35 रकबा 0.0550, 36 रकबा 0.0550, 37 रकबा 0.0650, 38 रकबा 0.0450, 39 रकबा 0.0150, 40 रकबा 0.0100, 60 रकबा 0.0850, 61 मी. रकबा 0.0150 किता 10 कुल रकबा 0.4700 है0 भूमि का गेगा पिता नारिया 1/5, भजा पिता नवलिया 1/5, हीरा, कालु, हमेरा पिता देवा, मु. राजीबाई बेवा देवा 1/5, रामा, नाथु, धन्ना पिता धुला 12/35, रम्बा बेवा धुला 2/35 गाडरी को, आराजी नम्बर 622 रकबा 0.6200 है0 भूमि का रता पिता कनिया 1/6, गेगा पिता नारिया 1/6, भजा पिता नवलिया 1/6, हीरा, कालु, हमेरा पिता देवा, मु. राजीबाई बेवा देवा 1/6, रामा, नाथु, धन्ना पिता धुला 6/21, मु. रम्बा बेवा धुला 1/21 गाडरी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एतदनसुर डिक्री पर्चा जारी किया जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(गोपाल लाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा-उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)
वाद डिकी

पीठासीन अधिकारी:- गोपाल लाल मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 51/2014

वादी पक्ष

1. श्री रता पिता किशना उर्फ कानिया गायरी निवासी फुटिया तहसील गोगुन्दा।

प्रतिवादी पक्ष

बनाम

1. श्री भज्जा पिता देवींग गायरी निवासी फुटिया तहसील गोगुन्दा।
2. श्री हीरा पिता देवींग गायरी निवासी फुटिया तहसील गोगुन्दा।
3. श्री कालु पिता देवींग गायरी निवासी फुटिया तहसील गोगुन्दा।
4. श्री हमेरा पिता देवींग गायरी निवासी फुटिया तहसील गोगुन्दा।
5. श्री गेगा पिता नाना गायरी निवासी फुटिया तहसील गोगुन्दा।
6. श्री रामा पिता धुला गायरी निवासी फुटिया तहसील गोगुन्दा।
7. श्री नाथु पिता धुला गायरी निवासी फुटिया तहसील गोगुन्दा।
8. श्री धन्ना पिता धुला गायरी निवासी फुटिया तहसील गोगुन्दा।
9. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

वाद बाबत

अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

वादी की ओर से-

श्री कुशालसिंह राणावत

प्रतिवादी की ओर से-

एक तरफा

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 12.07.2016 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिकी किया जाता है मौजा बांसडा पटवार क्षेत्र चौरबावडी के आराजी नम्बर 81 रकबा 0.0300, 86 रकबा 0.0700, 111 रकबा 0.0800, 205 रकबा 0.0550, 183/1 रकबा 0.0750, 112 रकबा 0.1100, 208 रकबा 0.0500, 203/1 रकबा 0.0200, 191/1 रकबा 0.1750, 95 मी. रकबा 0.2200, 182/1 रकबा 0.1300, 59 रकबा 0.0800, 61/1 रकबा 0.0100 कित्ता 13 कुल रकबा 1.1050 है0 भूमि का रता पिता कानिया गाडरी को, आराजी नम्बर 29 रकबा 0.1300, 57 रकबा 0.0950, 58 रकबा 0.0900, 70 रकबा 0.0600, 71 रकबा 0.0600, 77 रकबा 0.0600, 82 रकबा 0.0400, 84 रकबा 0.0500, 85 रकबा 0.0600, 87 रकबा 0.0700, 88 रकबा 0.0400, 95/1 रकबा 0.4200, 97 रकबा 0.1150, 98 रकबा 0.1350, 99 रकबा 0.7600, 108 रकबा 0.0700, 182 मी. रकबा 0.1100, 183 मी. रकबा 0.0750, 184 रकबा 0.1750, 191 मी. रकबा 0.1750, 203 मी. रकबा 0.1400, 206 रकबा 0.0750, 207 रकबा 0.0200, 1131/184 रकबा 0.0250 कित्ता 24 कुल रकबा 3.0500 है0 भूमि का गेगा पिता नारिया 1/3, भजा पिता नवला 1/3, हीरा, कालु, हमेरा पिता देवा, मु. राजकी बेवा देवा 1/3 गाडरी को आराजी नम्बर 22 रकबा 0.0550, 23 रकबा 0.0700, 35 रकबा 0.0550, 36 रकबा 0.0550, 37 रकबा 0.0650, 38 रकबा 0.0450, 39 रकबा 0.0150, 40 रकबा 0.0100, 60 रकबा 0.0850, 61 मी. रकबा 0.0150 कित्ता 10 कुल रकबा 0.4700 है0 भूमि का गेगा पिता नारिया 1/5, भजा पिता नवलिया 1/5, हीरा, कालु, हमेरा पिता देवा, मु. राजीबाई बेवा देवा 1/5, रामा, नाथु, धन्ना पिता धुला 12/35, रम्बा बेवा धुला 2/35 गाडरी को, आराजी नम्बर 622 रकबा 0.6200 है0 भूमि का रता पिता कनिया 1/6, गेगा पिता नारिया 1/6, भजा पिता नवलिया 1/6, हीरा, कालु, हमेरा पिता देवा, मु. राजीबाई बेवा देवा 1/6, रामा, नाथु, धन्ना पिता धुला 6/21, मु. रम्बा बेवा धुला 1/21 गाडरी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(गोपाल लाल मीना)

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला उदयपुर